राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

शुद्धि पत्र संख्या – 3/राज. राज्य एवं अधी. सेवाएं/2013–14

दिनांक : 24.06.2013

आयोग के विज्ञापन संख्या–2/विज्ञापन/परीक्षा/राज्य–अधी./2013–14 दिनांक 18.06.2013 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं प्रतियोगी, 2013 परीक्षा के पद विज्ञापित किए गए थे जिनके संबंध में यह अधिसूचित किया जाता है कि:–

1. उक्त विज्ञापन में क्रम संख्या 4 के बिन्दु 1 पर उल्लिखित आयु सीमा में छूट के प्रावधान के अन्तर्गत वर्णित टिप्पणी **''इस पद को आयोग द्वारा वर्ष 2011 में विज्ञापित किया गया था जिसके तहत आयु की गणना दिनांक 01.01.2012 को की गई थी। तत्पश्चात् इस पद हेतु कोई विज्ञापन आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया था। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2014 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट देय होगी''।** के स्थान पर अब इस वर्णित टिप्पणी को निम्न प्रकार से पढ़ा जावे :–

   ''इस पद को आयोग द्वारा वर्ष 2012 में विज्ञापित किया गया था जिसके तहत आयु की गणना दिनांक 01.01.2013 को की गई थी। तत्पश्चात् इस पद हेतु कोई विज्ञापन आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया था। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2014 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट देय नहीं होगी''।

2. इसी प्रकार विज्ञापन के क्रम संख्या 4 के छूट संबंधी प्रावधानों के नीचे वर्णित नोट–(1) में वर्णित टिप्पणी **''प्रावधान संख्या 1 से 10'' को अब ''प्रावधान संख्या 2 से 10 पढ़ा जावे।''**

3. अन्य शर्तें उक्त विज्ञापन के अनुसार यथावत रहेगी।

(सी.एल. दायमा)
सचिव